शीर्ष प्राथमिकता

संख्या:-1040/78-2020-25/2012

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड,
लखनऊ।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांकः 13 अगस्त, 2020**

विषयः उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप नीति-2020 के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्था नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-813/78-1-2020-25/2012, दिनांक 15 जुलाई 2020 द्वारा उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप नीति-2020 अधिसूचित की गई है।

2- उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 में व्यवस्था है कि उक्त नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन एक नोडल एजेन्सी नामित की जायेगी। एजेन्सी प्रदेश में स्टार्टअप ईकोसिस्टम के सतत विकास हेतु एक अनुकूल नीतिगत वातावरण के सृजन हेतु उत्तरदायी होगी। सिंगल विन्डो परिचालन का प्रबन्धन करने हेतु, नोडल एजेन्सी द्वारा सरकार को सहयोग देने के लिए आउटसोर्स प्रोफेशनल्स और कन्सल्टेण्ट्स तथा पर्याप्त स्टाफ सहित एक समर्पित परियोजना प्रबन्धन इकाई (पीएमयू) स्थापित की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा प्रकरण पर विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप नीति-2020 के क्रियान्वयन हेतु यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को कार्यदायी/नोडल संस्था नामित किया जाता है।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
अपर मुख्य सचिव